

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 345/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
ओमिया उर्फ ओमाराम पुत्र सुजाराम उर्फ सुजीया जाति मेघवंशी निवासी दुदिया तहसील लूनी जिला जोधपुर		1- गोबरराम पुत्र बस्ताराम के का0मुकाम- 1.1- बिदामी पत्नी गोबरराम 1.2- हडमान पुत्र गोबरराम 1.3- भल्लाराम पुत्र गोबरराम 1.4- सगुदेवी पुत्री गोबरराम 2- सुजाराम पुत्र बेनाराम 3- डुंगरराम पुत्र मोहनराम 4- गोपाराम पुत्र मोहनराम 5- श्यामाराम पुत्र मोहनराम 6- हरकु बेवा मोहनराम जातियान मेघवाल निवासीगण दुदीया तहसील लूनी जिला जोधपुर 7- तहसीलदार लूनी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध निर्णय दिनांक 30-6-2015 जो अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर
द्वारा राजस्व अपील संख्या 24/2013 में पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री मोती सिंह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री अक्षय दवे अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 1/2, 3 से 5 की ओर से ।
- 3- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड संख्या 7 की ओर से ।
- 4- शेष रेस्पोंड बावजूद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 29-5-2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भाचरना तहसील लूनी के खसरा नंबर 268 रकबा 79.13 बीघा तथा खसरा नंबर 269 रकबा 14.02 बीघा कुल 93 बीघा 15 बिस्वा भूमि बस्तिया, सूजिया, मोहनिया, शंकरिया पि0 वेनाराम कौम मेघवाल सा0 देह के खातेदारी की मे दर्ज थी । उक्त खातेदारान मे से सहखातेदार मोहनराम के फोट होने पर उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध मे म्युटेशन भरवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 476 पटवारी हल्का भाचरना ने सहखातेदार मोहनराम के पुत्रो एवं पत्नी के नाम तथा शंकरिया के कुंवारा फोट होना बताते हुए भरकर प्रस्तुत किया, जिस पर निरीक्षक भूअ.धुंधाडा ने शंकरलाल भी फोट होने से उसके वारिस के नाम दर्ज करने की टिप्पणी की जाने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 25-8-98 को शंकरराम कुंआरा फोट होने से उनके वारिसानो के नाम नामांतरकरण खोला गया, की टिप्पणी के साथ प्रस्तुत किया, जिसे नायब तहसीलदार लूनी ने दिनांक 25-8-98 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 476 के विरुद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे



बति- सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को कोर्ट केम्प लूनी में रखते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30-6-2015 के द्वारा अपीलांट की अपील को खारीज कर दी जाने के आदेश से विरुद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार शंकरिया ने अपने खातेदारी की भूमि के संबंध में एक वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 26-4-95 को निष्पादित किया गया था परंतु सहखातेदार शंकरिया के हिस्से की भूमि के संबंध में म्युटेशन संख्या 476 अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सभी वारिसान के नाम स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं होने से उसे निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो अपील रेगुलर कोर्ट में तारीख पेशी में चल रही थी तथा उसमें दोनों पक्षों की ओर से अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे परंतु दिनांक 18-5-15 की आदेशिका से पत्रावली को केम्प कोर्ट लूनी में दिनांक 30-6-15 को रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा अपीलाधीन निर्णय रेस्पोंगण की उपस्थिति दर्ज करते हुए पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दिनांक 30-6-2015 के लोक अदालत केम्प कोर्ट के नोटिसेज की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी केम्प कोर्ट के नोटिस पृथक-पृथक पक्षकारों के नाम से जारी नहीं कर केवल अपील में वर्णित सभी पक्षकारान के नाम का उल्लेख करते हुए कॉमन रूप से जारी किये गये हैं जिसमें अपीलांट का नोटिस स्वयं से तामिल करवाये बिना मात्र अ0नि0सुजाराम पिता से तामिल बताते हुए पर्याप्त तामिल मानकर आदेश में अपीलांट को बावजूद तामिल के अनुपस्थित बताकर जो निर्णय पारित किया है, वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत एवं एकतरफा होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय में दोनों ही पक्षों की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुने बिना ही मेरिट पर निर्णित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान आदेश 41 नियम 17 सीपीसी के प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि मेरिट पर निर्णय पारित करने से पूर्व दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है तथा कथन किया कि यदि अपीलांट हाजिर नहीं है तो न्यायालय अपील को डिसमिस कर सकता है, अपील का निर्णय मेरिट पर नहीं किया जा सकता है इसलिए वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का नोटिस प्रोपर तामिल नहीं होने से अपीलांट लोक अदालत केम्प कोर्ट लूनी में उपस्थित नहीं हो सका था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलांट की अनुपस्थिति लगाते हुए एकतरफा निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नहीं होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उनकी ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में यह आधार भी लिया है कि अपीलाधीन निर्णय राज्य सरकार के परिपत्र



वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई

दिनांक 13-8-99 एवं 6-11-2000 में दी गई प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए पारित किया है तथा यह भी कथन किया कि लोक अदालत में केवल राजीनामे के जरिये ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है, लोक अदालत में धारा 19 लोक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्रकरण मेरिट पर निस्तारित नहीं किया जा सकता था तथा यह भी कथन किया कि यदि पक्षकारों के बीच राजीनामा लोक अदालत में नहीं बैठता है तो प्रकरण पुनः नियमित कोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह एब-इनिश्यों-वॉर्ड आदेश होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत में वकील अपीलांत ने कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन भूमि के खातेदार शंकरिया द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर म्युटेशन स्वीकार करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के नोटिस तामिल करवाये बिना तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30-6-2015 को पारित किया है, उसे निरस्त करने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया । वकील अपीलांत ने अपनी बहस के समर्थन में 2014 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 515 एवं 2013 (2) सिविल टाईम्स (एस.सी.) पेज 377 की निर्णय नजीरें पेश की ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि का मूल खातेदार बनाराम था तथा उसके फोट होने पर अपीलाधीन भूमि गोबरराम पुत्र बस्ताराम, शंकरराम, सुजाराम, मोहनराम पुत्रान वेनाराम कौम मेघवाल सा0 देह के नाम दर्ज हुई अर्थात् अपीलाधीन भूमि पैतृक भूमि थी इसलिए पैतृक भूमि के संबंध में शंकरराम को वसीयत करने का अधिकार नहीं था तथा कथन किया कि वसीयत केवल स्वअर्जित सम्पत्ति की ही दी जा सकती है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांत के पक्ष में जिस वसीयत का होना बताते हैं उसमें अपीलाधीन भूमि के गांव का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया हुआ है तथा गवाहान के नाम पते आदि का पूर्ण विवरण नहीं होने से वसीयत संदिग्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख किया है कि अपीलाट किसी विशिष्ट दस्तावेज के आधार पर कोई अधिकार होना मानते हैं तो उसे सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा हेतु नियमित वाद करना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18-5-15 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि उक्त आदेशिका में पत्रावली को केम्प कोर्ट तहसील लूनी में दिनांक 30-6-15 को पेश होने का उल्लेख किया हुआ है तथा दिनांक 18-5-15 की आदेशिका में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज है अर्थात् पक्षकारों के अधिवक्ताओं को केम्प में पत्रावली रखने की सूचना थी तो उन्हें

केम्प में जाना चाहिये था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायहित में पक्षकारान को सूचना बाबत केम्प के नोटिस जारी किये जिसमें अपीलांत के नोटिस उसके पिता सुजाराम से तामिल सुदा रेकर्ड पर है तथा सुजाराम स्वयं भी अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 2 था जिनका नोटिस भी स्वयं से तामिल हुआ था परंतु अपीलांत एवं रेस्पो0 संख्या 2 को केम्प की जानकारी होते हुए भी वे जानबूझकर केम्प में उपस्थित नहीं होने पर जो एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि केम्प में प्रकरणों को मेरिट पर निर्णित नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांत की अनुपस्थिति में अपील को मेरिट पर खारीज नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई हार्ड एण्ड फास्ट प्रावधान नहीं है । वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मेरिट पर सही लगा तो मेरिट पर जो निर्णय किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांत की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में एक घोषणा का वाद भी अधीनस्थ न्यायालय में माडुदेवी ने पेश कर रखा है जो वर्तमान में लबित है, म्युटेशन अपील में स्वत्वों का बेहतर निर्धारण संभव नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में जो फाईंडिंग दी है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांत की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2009 पेज 123 की निर्णय नजीर पेश की जिसमें वसीयत, गोदनामों के आधार पर अधिकारों का निर्धारण म्युटेशन प्रोसिडिंग में तय नहीं किये जा सकते हैं, दावा ही विकल्प है, का उल्लेख किया हुआ होना बताया । इसके अलावा रेस्पो0 अधिवक्ता ने आर.आर.डी. 1999 पेज 514 एवं आर.आर.डी. 2006 पेज 190 की निर्णय नजीरें पेश की ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही के जरिये अधिकारों का बेहतर निर्धारण संभव नहीं है इसके लिए घोषणा का दावा ही विकल्प है इसलिए अपीलांत अपने पक्ष में अपीलाधीन भूमि के संबंध में वसीयत होना तथा वसीयत के आधार पर अपना अधिकार होना बताते हैं तो उन्हें अधिकारों की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में पेश करना होगा इसलिए अपीलांत की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांत अधिवक्ता ने रिबेटल बहस में कथन किया कि इस अपीलेट कोर्ट को यही देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय क्या अनियमितताएं की हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की वैद्यता अथवा संदिग्धता के बारे में कोई फाईंडिंग नहीं दी है इसलिए रेस्पो0 अधिवक्ता इस अपीलीय न्यायालय में नये बिन्दु पर किसी प्रकार की फाईंडिंग नहीं दी जा सकती है । अपीलांत अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एब-इनिश्यों-वॉर्ड तथा नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी गहनता से अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि पत्रावली में उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ता गण नियमित कोर्ट में उपस्थित हो रहे थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18-5-2015 अनुसार पत्रावली केम्प कोर्ट लूनी में दिनांक 30-6-2015 को रखते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पक्षकारान के केम्प कोर्ट में दिनांक 30-6-15 को उपस्थित होने के लिए जारी की गई सूचना एवं उस पर तामिली रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलांत ओमिया उर्फ ओमाराम पुत्र सुजाराम का नोटिस अपीलांत स्वयं से तामिल नहीं करवा कर उसके पिता सुजाराम से तामिलसुदा प्राप्त हुआ है अथार्त अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय में केम्प कोर्ट का नोटिस प्रोपर तामिल नहीं हुआ था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में "अपीलांत बाद तामिल सम्मन अनुपस्थित" का उल्लेख करते हुए जो एकतरफा निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नहीं होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30-6-2015 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान विधिवत नोटिस जारी कर, बाद तामिल उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 29-5-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)

अतिरिक्त सम्मोगीय आयुक्त
जोधपुर